



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 आश्विन 1932 (श0)
(सं0 पटना 704) पटना, शुक्रवार, 15 अक्टूबर 2010

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

15 अक्टूबर 2010

सं0-बी1-3-68/2010-37—बिहार विधान-सभा आम निर्वाचन, 2010 के अवसर पर 192-संदेश. 193-बड़हरा, 194-आरा, 195-अगिऑंव (अ.जा.), 196-तरारी, 197-जगदीशपुर, 198-शाहपुर, 236-हिसुआ, 237-नवादा, 239-वारसलीगंज, 230-गया टाउन, 232-बेलागंज, 233-अतरी, 234-वजीरगंज, 169-शेखपुरा, 170-बरबीघा, 171-अस्थावां, 172-बिहारशरीफ, 173-राजगीर (अ.जा.), 174-इस्लामपुर, 175-हिलसा, 176-नालन्दा, 177-हरनौत, 235-रजौली (अ.जा.), 238-गोबिन्दपुर, 214-अरवल, 215-कुर्था, 216-जहानाबाद, 217-घोसी, 218-मखदुमपुर (अ.जा.), 229-बोध गया (अ.जा.), 188-फुलवारी (अ.जा.), 189-मसौढ़ी (अ.जा.), 190-पालीगंज एवं 191-बिक्रम विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या बी1-3-68/2010-36, दिनांक 15 अक्टूबर 2010 एवं भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 464/बिहार-वि.स./2010, दिनांक 15 अक्टूबर 2010 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

आर0 के0 प्रसाद,

उप-मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,

बिहार-सह-सरकार के उप-सचिव।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

15 अक्टूबर 2010

सं० बी१-३-६८/२०१०-३६—यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद-१७२ के खण्ड (१) के उपबन्धों के अनुसार बिहार राज्य की विधान-सभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो २७ नवम्बर, २०१० को सम्मिलित करते हुए इस तारीख तक बनी रहेगी और उसके पश्चात् उसकी अवधि के अवसान पर विघटित मानी जाएगी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ (१९५१ का ४३) की धारा-१५ की उप-धारा (१) के निबंधनों के अनुसार बिहार राज्य की नई विधान-सभा के गठन के प्रयोजन के लिए साधारण निर्वाचन कराया जाना है;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ (१९५१ का ४३) की धारा-१५ की उप-धारा (२) के अनुसरण में, जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग ने सिफारिश की है, बिहार राज्य के राज्यपाल एतद्वारा नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करते हैं कि वे उक्त अधिनियम और तद्दीन बनाये गये नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार बिहार राज्य की विधान-सभा के लिए सदस्य निर्वाचित कर दें:

सारणी

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम
१९२-संदेश
१९३-बड़हरा
१९४-आरा
१९५-अगिऑव (अ.जा.)
१९६-तरारी
१९७-जगदीशपुर
१९८-शाहपुर
२३६-हिसुआ
२३७-नवादा
२३९-वारसलीगंज
२३०-गया टाउन
२३२-बेलागंज
२३३-अतरी
२३४-वजीरगंज
१६९-शेखपुरा
१७०-बरबीघा
१७१-अस्थावां
१७२-बिहारशरीफ
१७३-राजगीर (अ.जा.)
१७४-इस्लामपुर

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम
175-हिलसा
176-नालन्दा
177-हरनौत
235-रजौली (अ.जा.)
238-गोबिन्दपुर
214-अरवल
215-कुर्या
216-जहानाबाद
217-घोसी
218-मखदुमपुर (अ.जा.)
229-बोध गया (अ.जा.)
188-फुलवारी (अ.जा.)
189-मसौढ़ी (अ.जा.)
190-पालीगंज
191-बिक्रम

राज्यपाल के आदेश से व उनके नाम से,

(ह0) अस्पष्ट,

बिहार सरकार के मुख्य सचिव।

The 15th October 2010

No. B1-3-68/2010-36—WHEREAS, in accordance with the provisions of clause (1) of Article 172 of the Constitution of India, the existing Legislative Assembly of the State of Bihar, unless sooner dissolved, shall continue up to and including the 27th November, 2010 and shall, thereafter, stand dissolved on the expiration of its duration; and

WHEREAS, in terms of sub-section (1) of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), a General Election has to be held for the purpose of constituting a new Legislative Assembly of the State of Bihar ;

NOW, THEREFORE, as recommended by the Election Commission of India, in pursuance of sub-section (2) of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Governor of the State of Bihar is hereby pleased to call upon each of the Assembly Constituencies of the State of Bihar specified in the Table below to elect members to the Legislative Assembly of the State, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder:

TABLE

Number and name of the Assembly Constituency
192-Sandesh
193-Barhara
194-Arrah
195-Agiaon (SC)
196-Tarari
197-Jagdishpur

Number and name of the Assembly Constituency
198-Shahpur
236-Hisua
237-Nawada
239-Warsaliganj
230-Gaya Town
232-Belaganj
233-Atri
234-Wazirganj
169-Sheikhpura
170-Barbigha
171-Asthawan
172-Biharsharif
173-Rajgir(SC)
174-Islampur
175-Hilsa
176-Nalanda
177-Harnaut
235-Rajauli(SC)
238-Gobindpur
214-Arwal
215-Kurtha
216-Jehanabad
217-Ghosi
218-Makhdumpur(SC)
229-Bodh Gaya(SC)
188-Phulwari(SC)
189-Masaurhi(SC)
190-Paliganj
191-Bikram

By Order and in the Name of Governor,
Sd/-Illegible,
Chief Secretary to the Government of Bihar.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001, दिनांक 15 अक्टूबर, 2010/23 अश्विन, 1932 (शक)

सं0 464/बिहार-वि.स./2010:- यतः, बिहार राज्य के राज्यपाल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा-15 की उप-धारा (2) के अधीन जारी की गई, दिनांक 15 अक्टूबर, 2010 को राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में यथा विनिर्दिष्ट बिहार राज्य के प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से यह अपेक्षा करता है कि वे उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य की विधान सभा के गठन के प्रयोजन के लिए सदस्य निर्वाचित कर दे;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा-30 तथा 56 के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-
(अ) उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्रों से उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में :

- | | |
|--|-------------------------------|
| (क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख | : 22 अक्टूबर, 2010 (शुक्रवार) |
| (ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा तारीख | : 23 अक्टूबर, 2010 (शनिवार) |
| (ग) अभ्यर्थिताएं वापिस लेने की अन्तिम तारीख | : 25 अक्टूबर, 2010 (सोमवार) |
| (घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा | : 9 नवम्बर, 2010 (मंगलवार) |
| (ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा । | : 26 नवम्बर, 2010 (शुक्रवार) |

नियत करता है; और
(आ) नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में दिखाए गए समय को ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को स्तम्भ (1) में दिखाए गए तत्स्थानी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा:-

सारणी

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	मतदान का समय
1	2
192-संदेश	प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक
193-बड़हरा	प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक
194-आरा	प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक
195-अगिआँव (अ.जा.)	प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक
196-तरारी	प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक
197-जगदीशपुर	प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक
198-शाहपुर	प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक
236-हिसुआ	प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक
237-नवादा	प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक
239-वारसलीगंज	प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक
230-गया टाउन	प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक
232-बेलागंज	प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक
233-अतरी	प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक
234-वजीरगंज	प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक
169-शेखपुरा	प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक
170-बरबीघा	प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक
171-अस्थावां	प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक
172-बिहारशरीफ	प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक
173-राजगीर (अ.जा.)	प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक
175-हिलसा	प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक
176-नालन्दा	प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक
177-हरनौत	प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक
235-रजौली (अ.जा.)	प्रातः 7 बजे से सायं 3 बजे तक
238-गोबिन्दपुर	प्रातः 7 बजे से सायं 3 बजे तक

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	मतदान का समय
1	2
214-अरवल	प्रातः 7 बजे से सायं 3 बजे तक
215-कुर्था	प्रातः 7 बजे से सायं 3 बजे तक
216-जहानाबाद	प्रातः 7 बजे से सायं 3 बजे तक
217-घोसी	प्रातः 7 बजे से सायं 3 बजे तक
218-मखदुमपुर (अ.जा.)	प्रातः 7 बजे से सायं 3 बजे तक
229-बोध गया (अ.जा.)	प्रातः 7 बजे से सायं 3 बजे तक
188-फुलवारी (अ.जा.)	प्रातः 7 बजे से सायं 3 बजे तक
189-मसौढ़ी (अ.जा.)	प्रातः 7 बजे से सायं 3 बजे तक
190-पालीगंज	प्रातः 7 बजे से सायं 3 बजे तक
191-बिक्रम	प्रातः 7 बजे से सायं 3 बजे तक
174-इस्लामपुर	प्रातः 7 बजे से सायं 3 बजे तक

आदेश से,
के० अजय कुमार,
सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi- 110001, dated 15th October, 2010/ 23 Asvina, 1932(Saka)

No. 464/BR-LA/2010:- WHEREAS, the Governor of the State of Bihar has, by notification issued under sub-section (2) of section 15 of the Representation of the People Act, 1951(43 of 1951), published in the official Gazette of the State on the 15th October, 2010, been pleased to call upon each of the Assembly Constituencies in the State of Bihar, as specified in column (1) of the Table below, to elect members of the Legislative Assembly of the State, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made there under ;

NOW, THEREFORE, in pursuance of Sections 30 and 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby-

(A) **appoints**, with respect to the said election from each of the Assembly Constituencies specified in the said Table :-

- the 22nd October, 2010 (Friday) , as the last date for making nominations;
- the 23rd October, 2010 (Saturday) , as the date for scrutiny of nominations;
- the 25th October, 2010 (Monday), as the last date for withdrawal of candidatures;
- the 9th November, 2010 (Tuesday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- the 26th November, 2010 (Friday), as the date before which the election shall be completed; and

(B) fixes the hours, as shown in column (2) of the Table below , as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, in the corresponding constituency shown in column (1) of the said Table :

TABLE

Number and name of the Assembly Constituency	Hours Of Poll
1	2
192-Sandesh	7.00AM to 5.00 PM
193-Barhara	7.00AM to 5.00 PM
194-Arrah	7.00AM to 5.00 PM
195-Agiaon (SC)	7.00AM to 5.00 PM
196-Tarari	7.00AM to 5.00 PM
197-Jagdishpur	7.00AM to 5.00 PM

Number and name of the Assembly Constituency	Hours Of Poll
1	2
198-Shahpur	7.00AM to 5.00 PM
236-Hisua	7.00AM to 5.00 PM
237-Nawada	7.00AM to 5.00 PM
239-Warsaliganj	7.00AM to 5.00 PM
230-Gaya Town	7.00AM to 5.00 PM
232-Belaganj	7.00AM to 5.00 PM
233-Atri	7.00AM to 5.00 PM
234-Wazirganj	7.00AM to 5.00 PM
169-Sheikhpura	7.00AM to 5.00 PM
170-Barbigaha	7.00AM to 5.00 PM
171-Asthawan	7.00AM to 5.00 PM
172-Biharsharif	7.00AM to 5.00 PM
173-Rajgir (SC)	7.00AM to 5.00 PM
175-Hilsa	7.00AM to 5.00 PM
176-Nalanda	7.00AM to 5.00 PM
177-Harnaut	7.00AM to 5.00 PM
235-Rajauli (SC)	7.00AM to 3.00 PM
238-Gobindpur	7.00AM to 3.00 PM
214-Arwal	7.00AM to 3.00 PM
215-Kurtha	7.00AM to 3.00 PM
216-Jehanabad	7.00AM to 3.00 PM
217-Ghosi	7.00AM to 3.00 PM
218-Makhdumpur (SC)	7.00AM to 3.00 PM
229-Bodh Gaya (SC)	7.00AM to 3.00 PM
188-Phulwari (SC)	7.00AM to 3.00 PM
189-Masaurhi (SC)	7.00AM to 3.00 PM
190-Paliganj	7.00AM to 3.00 PM
191-Bikram	7.00AM to 3.00 PM
174-Islampur	7.00AM to 3.00 PM

By Order,
K. AJAY KUMAR,
Secretary, Election Commission of India.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 704-571+300-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>